

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/प्रेस नोट/9/2018

दिनांक : 23 जनवरी, 2018

प्रेस नोट

विषय : ओडिशा राज्य विधान सभा में आकस्मिक रिक्तियां भरने के लिए उप-निर्वाचनों हेतु अनुसूची-तत्संबंधी।

2-बिजेपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से ओडिशा की राज्य विधान सभा में स्पष्ट रिक्ति है जिसे भरे जाने की आवश्यकता है।

स्थानीय त्योहारों, निर्वाचक नामावलियों, मौसमी स्थितियों आदि जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने इस रिक्ति को निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार भरने के लिए उप-निर्वाचन आयोजित करने का निर्णय लिया है:-

मतदान कार्यक्रम	अनुसूची
गजट अधिसूचना जारी करने की तारीख	30/01/2018 (मंगलवार)
नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख	06/02/2018 (मंगलवार)
नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	07/02/2018 (बुधवार)
अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख	09/02/2018 (शुक्रवार)
मतदान की तारीख	24/02/2018 (शनिवार)
मतों की गणना की तारीख	28/02/2018 (मंगलवार)
वह तारीख, जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न करवा लिया जाएगा	03/03/2018 (शनिवार)

निर्वाचक नामावली

ओडिशा के 2-बिजेपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियां दिनांक 01.01.2018 के संदर्भ में उप-निर्वाचन हेतु उपयोग में लाई जाएंगी। ओडिशा की निर्वाचक नामावली दिनांक 20.01.2018 को अंतिम रूप से प्रकाशित की गई है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) एवं वीवीपीएटी

आयोग ने सभी मतदान केन्द्रों में उप-निर्वाचनों में ईवीएम और वीवीपीएटी का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। ईवीएम और वीवीपीएटी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराई गई हैं और यह सुनिश्चित करने के पूरे प्रयास किए गए हैं कि इन मशीनों से मतदान निर्विघ्न रूप से संचालित किए जाएं।

मतदाताओं की पहचान

विगत प्रथा के अनुरूप, आयोग ने निर्णय लिया है कि उपर्युक्त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाता की पहचान करना अनिवार्य होगा। मतदाता फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) मतदाता की पहचान का मुख्य दस्तावेज होगा। तथापि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे, यदि उसका नाम निर्वाचक नामावलियों में दिया गया हो। उक्त उप-निर्वाचनों में मतदान के समय मतदाताओं की पहचान करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति देने हेतु अलग से निदेश जारी किए जाएंगे।

आदर्श आचार संहिता

आयोग ने दिनांक 29 जून, 2017 के अनुदेश सं. 437/6/अनु/2016-सीसीएस (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) के तहत जारी किए गए आंशिक संशोधन के अध्यक्षीन आदर्श आचार संहिता उन जिलों में तत्काल प्रभाव से लागू होगी जिनमें उप निर्वाचन होने वाले विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण या कोई भाग सम्मिलित है। आदर्श आचार संहिता सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों और संबंधित राज्य सरकारों पर लागू होगी। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य के जिले के लिए बारे में संघ सरकार पर भी लागू होगी।

(सुमित मुखर्जी)

प्रधान सचिव